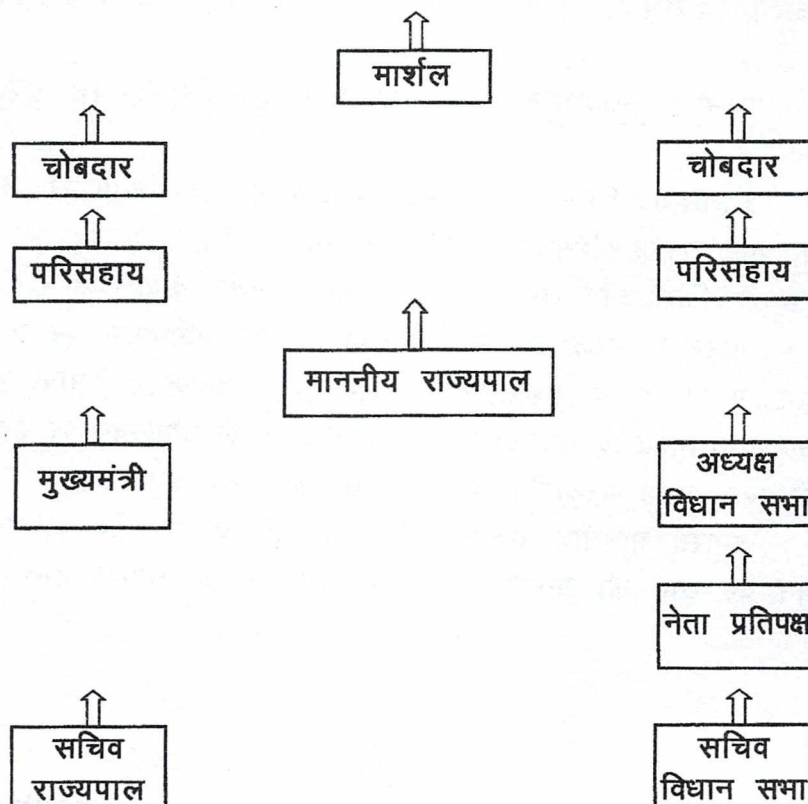


छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधान सभा का प्रथम सत्र मंगलवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 से आरंभ होगा। सत्र के दूसरे दिन बुधवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को छत्तीसगढ़ की माननीय राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 176 के खण्ड (1) के अधीन विधान सभा भवन के सभा कक्ष में पूर्वाह्न 11:05 बजे अभिभाषण करेंगे।

बुधवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को सभा की बैठक पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रारंभ होगी। सभी सदस्य अपना-अपना स्थान ग्रहण करेंगे। राष्ट्रगीत तथा राज्यगीत होगा एवं माननीय अध्यक्ष माननीय राज्यपाल के आगमन की सूचना देंगे एवं उनकी प्रतीक्षा करने के लिये सदस्यों से अनुरोध करेंगे। समस्त माननीय सदस्य सभाभवन में अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे तथा माननीय अध्यक्ष माननीय राज्यपाल के स्वागत के लिये माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं सचिव, विधान सभा के साथ राज्यपाल द्वार पर माननीय राज्यपाल के स्वागत हेतु प्रस्थान करेंगे और माननीय राज्यपाल के आगमन की प्रतीक्षा करेंगे। माननीय राज्यपाल के राज्यपाल द्वार पर आगमन पर उनका स्वागत करेंगे। तदुपरांत माननीय राज्यपाल महोदय निम्नानुसार निर्धारित चल समारोह के क्रम में सभाभवन में प्रवेश करेंगे :-



1. चल समारोह जब सभा कक्ष में प्रवेश करेगा, तब सभा कक्ष में प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही मार्शल माननीय राज्यपाल के आगमन की घोषणा यह कहकर करेंगे कि – “माननीय सदस्यगण माननीय राज्यपाल महोदय।” ऐसी घोषणा किये जाने पर सभा कक्ष में उपस्थित समस्त माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो जायेंगे।
2. सभा भवन के गर्भगृह में पहुंचने पर चौबदार, माननीय राज्यपाल के ए.डी.सी. (परिसहाय), माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष, सचिव, विधान सभा एवं माननीय राज्यपाल के सचिव अपने बैठने के स्थान की ओर चले जायेंगे और अपना स्थान ग्रहण करेंगे।
3. मंच पर मार्शल, माननीय राज्यपाल के ए.डी.सी. (परिसहाय) क्रमशः अध्यक्ष एवं माननीय राज्यपाल की कुर्सी के पीछे खड़े रहेंगे। माननीय अध्यक्ष माननीय राज्यपाल के बाईं ओर बैठेंगे। जैसे ही माननीय राज्यपाल अपने आसन पर पहुंचेंगे, दर्शक दीर्घा में पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रध्वन बजाई जायेगी। माननीय राज्यपाल महोदय के सभा भवन में प्रवेश से लेकर माननीय राज्यपाल के अपनी कुर्सी पर पहुंचने एवं राष्ट्रध्वन की समाप्ति तक समस्त माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े रहेंगे।
4. माननीय राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ेंगे। यह परम्परा है कि जब माननीय राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ती हैं। सदस्य पूर्ण शांति बनाये रखते हैं और अभिभाषण के दौरान किसी भी प्रकार की व्यवस्था का प्रश्न, बहिष्कार या अन्य प्रकार से व्यवधान पैदा नहीं किया जाता है और माननीय राज्यपाल के प्रति पूर्ण आदर एवं सम्मान की भावना व्यक्त की जाती है।
5. अभिभाषण के पश्चात् पुनः दर्शक दीर्घा में स्थित पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रध्वन बजाई जाती है और फिर माननीय राज्यपाल उसी प्रकार चल समारोह के साथ उसी मार्ग से वापस जाते हैं, जिस मार्ग से और जिस प्रकार चल समारोह के साथ माननीय राज्यपाल प्रवेश करते हैं। जब माननीय राज्यपाल सभा भवन से बाहर जाते हैं, तब सभी सदस्य अपने स्थान पर उनके सम्मान में खड़े रहते हैं।
6. अभिभाषण की समाप्ति एवं माननीय राज्यपाल के सभा से चले जाने के पश्चात् सदस्य अपना स्थान ग्रहण करेंगे और उस दिन के लिये नियत कार्यवाही के लिये अध्यक्ष के वापस आने की प्रतीक्षा करेंगे।

माननीय राज्यपाल का अभिभाषण—कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर संशोधन

छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 14 के अंतर्गत माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर किसी एक सदस्य के द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और किसी दूसरे सदस्य के द्वारा उनका समर्थन किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष ने माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत किये जाने वाले कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर संशोधन देने के लिये बुधवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को सायं 5:00 बजे तक का समय नियत किया है तथा माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हेतु गुरुवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 अस्थायी रूप से नियत किया गया है।

समस्त माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि माननीय राज्यपाल के विधान सभा आगमन पर सभा की गरिमा के अनुरूप समारोह के सम्पन्न होने में सहयोग करेंगे।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा